राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2763/2023

चन्द्रा पुत्री मगना राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, गांव इंद्रवास, खड़ीन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर।
3. अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

के साथ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2646/2023

धर्मी पुत्री लाखा राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, गांव खड़ीन, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर।
3. अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2879/2023

सविता पुत्री जगू राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी गांव पाबूसरिया, पोस्ट कंटल का पार, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर।
3. अपर निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए	:	श्री हनुमान सिंह
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री महावीर बिश्नोई, एएजी
		श्री एच.एस. चुंडावत

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>21/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ताओं की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ 28.01.2016 के विज्ञापन (अनुलग्नक-1) के अनुसार एएनएम के पद पर नियुक्ति न दिए जाने से उत्पन्न हुई है।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:-

2.1 याचिकाकर्ताओं ने 28.01.2016 के विज्ञापन के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ओबीसी श्रेणी के तहत एएनएम के पद के लिए आवेदन किया था। प्रतिवादियों ने जिलेवार मेरिट सूची तैयार की और मेरिट सूची में अस्पष्टता के कारण, अत्यधिक प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को मेरिट सूची में स्थान नहीं मिला। इस न्यायालय ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 1766/2017 में दिनांक

01.05.2017 को आदेश पारित किया जिसका शीर्षक प्रियंका सैनी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है और प्रत्येक प्रतिभाशाली उम्मीदवार को रोजगार मिले यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्देश जारी किए।

2.2 प्रतिवादियों ने उपरोक्त आदेश के अनुपालन में विभिन्न अभ्यर्थियों से जिलों की वरीयता मांगी, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने भी अपनी जिला वरीयता प्रस्तुत की। हालांकि, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति प्रदान नहीं की, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जो याचिकाकर्ताओं की तुलना में योग्यता में कम थे।

2.3 याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी अधिकारियों से संपर्क किया और अनुरोध किया कि उन्हें एएनएम के पद पर नियुक्त किया जाए क्योंकि विभिन्न निम्न योग्यता वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई थी, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। प्रतिवादियों की भेदभावपूर्ण कार्रवाइयों से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने तत्काल रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

3. जवाब में लिया गया रुख इस प्रकार है:-

3.1 याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2023 में बहुत देरी से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और जिस विज्ञापन के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है वह वर्ष 2016 में जारी किया गया था और मेरिट सूची और नियुक्ति आदेश वर्ष 2019 में जारी किए गए थे। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी उचित स्पष्टीकरण दिए काफी देरी से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3.2 प्रियंका सैनी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1766/2017 के मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन में, पात्र उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा जिलों के अनुसार नियुक्ति दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने संबंधित जिलों में अंतिम कट ऑफ अंकों की तुलना में बहुत कम अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. कानून सतर्क लोगों की मदद करता है, न कि उन लोगों की जो अपने अधिकारों के लिए सोते रहते हैं। मुकदमेबाजी के मामलों में, एक निश्चित चरण में, पक्षों के प्रतिद्वंद्वी दावों को शांत करना पड़ता है। इस मामले में, निश्चित रूप से, पक्षपात और भाई-भतीजावाद में लिप्त होने के तथाकथित आरोप वर्ष 2019 से संबंधित हैं और फिर भी, याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिकारों के लिए बैठे रहना

चुना। एक समय पर अपने अधिकारों के तथाकथित हनन को स्वीकार करते हुए और साथ ही, चयनित/नियुक्त किए गए लोगों के अधिकारों को स्पष्ट करने की अनुमति देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2023 में देरी से रिट याचिका दायर की है। इस न्यायालय में आने में उनके द्वारा की गई देरी के लिए इस तथ्य के अलावा कोई औचित्य सामने नहीं आ रहा है कि कुछ समान स्थिति वाले उम्मीदवारों ने याचिकाकर्ताओं से बहुत पहले रिट याचिका दायर की थी, जिन्हें न्यायालय के आदेशों के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिया गया था। यही कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता तटस्थ होकर बैठे रहें और इस प्रकार गैर-सतर्क बने रहने के कारण, याचिकाकर्ता इस विलंबित चरण में किसी भी छूट के हकदार नहीं हैं।

6. यह सामान्य कानून है कि यदि किसी कारणवश दूसरे पक्ष को कानूनी अधिकारों की प्राप्ति होती है, तो उसे केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता कि इससे उन लोगों के साथ अन्याय और नाराज़गी होती है, जो यदि समय पर आते, तो इस न्यायालय से राहत पाने के हकदार होते।

7. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, याचिकाकर्ता स्वयं देरी और गलती के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण दूसरे पक्ष को अधिकारों की प्राप्ति हुयी है। इसके अलावा, प्रभावित उम्मीदवार जिन्हें चुना और नियुक्त किया गया था, उन्हें केस में शामिल नहीं किया गया है।

8. हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

9. तदनुसार, रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।